न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 32/2019

अनवान :

1. चरणसिंह पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. बालुराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बालुराम जाति निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रतिवादीगण**

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादी**
वकील श्री उम्मेद मोठसरा **: प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक :** 27.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाात सं0 48/34 के खसरा सं0 28 की 1.543 है0 खसरा सं0 29/2 की 1.328 है0, खसरा सं0 30 की 1.530 है0 खसंरा सं0 41 की 2.845 है0 खसरा सं0 211 की 1.884 है0 खसरा सं0 212 की 5.553 है0 खसरा सं0 574/18 की 0.986 है0 कुल किता 7 की 15.669 है0 बारानी खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी बालुराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही करनपुरा बारानी के ही खाता सं0 191/187 के खसरा सं0 17 की 10.990 है0, खसरा सं0 18 की 2.959 है0 खसरा सं0 19 की 0.202 है0 खसरा सं0 26 की 1.391 है0 खसरा सं0 27 की 0.455 है0 खसरा सं0 29/1 की 0.607 है0 कुल किता 6 की 16.604 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बालुराम के नाम से 35 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि में से जो 35 हिस्सा खातेदारी प्रतिवादी बालुराम के नाम से दर्ज है वह भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की आय आमदनी व दादालाई भूमि की आय से खरीद की गई भूमि है इसके अलावा अन्य भूमि वादी के दादा हेतराम के समय की खातेदारी है जो हेतराम के देहान्त होने पर वादी एवं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी बालुराम कर्त्ता खानदान होने के कारण विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि की दादालाई कृषि भूमि होने की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है।

वादभूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया था जिसमें प्रतिवादी बालुराम ने अपने नाम दर्ज खातेदारी को वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार दर्ज करवाने की सहमति दे दी थी एवं वादभूमि का कब्जा भी बहिस्सा बराबर के अनुसार अलग अलग प्राप्त कर लिया था परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी बालुराम के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दंर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 चरणसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सेत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी के खाता सं0 48/34 सम्वत् 2074–77 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी खाता सं0 191/187 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम करनपुरा बारानी सम्वत् 2046 से 49 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी सम्वत् 2046 से 49 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा ग्राम करनपुरा बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम करनपुरा बारानी सम्वत् 2046 से 49 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी सम्वत् 2046 से 49 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है उससे वर्तमान खाता सं0 48/34 की कृषि भूमि का मिलान हुआ है जो कि वादी के दादा हेतराम के नाम दर्ज है जिससे मात्र इस खाता की वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं शेष कृषि भूमि जो ग्राम करनपुरा बारानी के खाता सं0 191/187 की है वह दादालाई पैत्रक कृषि भूमि साबित करने वादी असफल रहा है इसलिए उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 बालुराम के नाम यथावत् रखा जाना न्यायोचित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में बालुराम के वारिसान में पत्नी गुड्डी, दो पुत्र चरणसिंह व राजेन्द्र कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक तौर पर साबित है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 48/34 के खसरा सं0 28 की 1.543 है0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खसरा सं0 29/2 की 1.328 है0, खसरा सं0 30 की 1.530 है0 खसरा सं0 41 की 2.845 है0 खसरा सं0 211 की 1.884 है0 खसरा सं0 212 की 5.553 है0 खसरा सं0 574/18 की 0.986 है0 कुल किता 7 की 15.669 है0 बारानी खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी बालुराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बालुराम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 32/2019

अनवान :

1. चरणसिंह पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बालुराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बालुराम जाति निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 48/34 के खसरा सं0 28 की 1.543 है0 खसरा सं0 29/2 की 1.328 है0, खसरा सं0 30 की 1.530 है0 खसरा सं0 41 की 2.845 है0 खसरा सं0 211 की 1.884 है0 खसरा सं0 212 की 5.553 है0 खसरा सं0 574/18 की 0.986 है0 कुल किता 7 की 15.669 है0 बारानी खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी बालुराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बालुराम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-2-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़